



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2009/वैशाख 11, 1931

No. 260]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2009/VAISAKHA 11, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2009

सा.का.नि. 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 और खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ), तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 136(अ), तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 137(अ), तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 138(अ), तारीख 17 फरवरी, 2000 और सा.का.नि. 157(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 के उपबंध चीनी के किसी उत्पादक द्वारा आयात की गई कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत चीनी के संबंध में और भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.), एम.एम.टी.सी. लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लि. (पी.ई.सी.) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड) द्वारा दस लाख टन तक आयात की गई सफेद या परिष्कृत चीनी के संबंध में 1 अगस्त, 2009 तक लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(4)/2009-एस.पी.-1]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 1st May, 2009

G.S.R. 303(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of

1660 GI/2009

1955) read with Clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the provisions of notifications number G.S.R. 135(E) dated 17th February, 2000, G.S.R. 136(E) dated 17th February, 2000, G.S.R. 137(E) dated 17th February, 2000, G.S.R. 138(E) dated 17th February, 2000 and G.S.R. 157(E) dated 1st March, 2002, shall not be applicable till the 1st August, 2009 in respect of sugar processed from raw sugar imported by a producer of sugar and in respect of white or refined sugar imported up to ten lakh tons by State Trading Corporation of India Ltd (STC), MMTCLimited (MMTC), Projects and Equipment Corporation of India Ltd (PEC) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).

[F.No.1(4)/2009-SP.I]

N. SANJAL, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2009

सा.का.नि. 304(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 और खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1999 के उपबंध भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.), एम.एम.टी.सी. लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लि. (पी.ई.सी.) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड) द्वारा दस लाख टन तक आयात की गई सफेद या परिष्कृत चीनी के संबंध में 1 अगस्त, 2009 तक लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(4)/2009-एस.पी.-1]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 1st May, 2009

**G.S.R. 304(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with Clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the provisions of notification number G.S.R. 832(E) dated the 29th December, 1999, shall not be applicable till the 1st

day of August, 2009 in respect of white or refined sugar imported up to ten lakh tons by State Trading Corporation of India Ltd. (STC), MMTC Limited (MMTC), Projects and Equipment Corporation of India Ltd. (PEC) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).

[F.No.1(4)/2009-SP.I]

N. SANYAL, Jt. Secy.